'प्रश्नों का समय' से संबंधित प्रक्रिया की तथ्यपरक जानकारी:
बजट सत्र, 2008

प्रश्न शाखा
राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
सितंबर, 2008

संसद सदस्यों के
प्रयोग हेतु

प्रकाशनार्थ नहीं

प्रासंगिक पत्र श्रृंखला–2/2008

'प्रश्नों का समय' से संबंधित प्रक्रिया की तथ्यपरक जानकारी: बजट सत्र, 2008

प्रश्न शाखा
राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
सितम्बर, 2008

प्रस्तावना

राज्य सभा की प्रत्येक बैठक का प्रथम घण्टा प्रश्न पूछने व उनके उत्तर देने हेतु उपलब्ध होता है। इसे 'प्रश्नों का समय' की संज्ञा दी गई है। सभा की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ होती है और दिवस की कार्यावलि में 'प्रश्नों का समय' नामक कार्यमद प्रथम स्थान पर सूचीबद्ध होती है। सप्ताह में सभा पांच दिन समवेत होती है और कार्यावलि में प्रत्येक दिन 'प्रश्नों का समय' नामक कार्य-मद होती है। भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को राज्य सभा में अपने-अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सप्ताह में एक दिन का अवसर दिया जाता है।

2. राज्य सभा के दो सौ तेरहवें सत्र (बजट-सत्र-2008) के दौरान 'प्रश्नों का समय' से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण से कतिपय अत्यंत रोचक बातों का पता चला है जिन्हें इस प्रकाशन में संकलित करने का प्रयास किया गया है। हमें आशा है कि यह सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए न केवल एक रोचक अध्ययन की सामग्री होगी बल्कि इससे प्रक्रिया व कार्यविधि के बारे में सुस्पष्ट जानकारी देने में भी मदद मिलेगी और साथ ही यह हमारे जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु किये जाने वाले प्रयासों के संबंध में सटीक जानकारी प्रदान करेगा।

डा॰ विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव,
राज्य सभा।

नई दिल्ली
26 सितम्बर, 2008

I. प्रश्नों का समय

राज्य सभा की प्रत्येक बैठक का प्रथम घण्टा सभा में सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने व उनके उत्तर देने के लिए नियत होता है। सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाना उन्हें प्राप्त एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रभावी तरीका है। प्रासंगिक प्रश्न पूछकर सदस्य न केवल सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इससे जनता के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाती है। केवल इतना ही नहीं, सदस्यों द्वारा प्रश्नों के माध्यम से सभा में उठाए गए मुद्दों से मंत्रालयों को उनके कार्यक्रमों में संशोधन/परिवर्तन करने तथा विभिन्न संस्थानों/निकायों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है। सदस्यों को सरकारी बाध्यताओं, यदि कोई हों, के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रश्नों का समय नामक मद का महत्व इस दौरान सभा में सदस्यों की उपस्थिति तथा खचाखच भरी प्रेस व अधिकारी दीर्घाओं से स्वत: स्पष्ट है।

1.2 एक घंटे की 'प्रश्नों के समय' की अवधि सचिवालय स्तर पर एक सुस्थापित समयबद्ध प्रक्रिया है। इसी प्रकार, किसी दिवस के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तर सरकारी स्तर पर किए गए गहन कार्य का प्रतिफल होते हैं। इसके पश्चात्, जब 'प्रश्नों का समय' आरंभ होता है और सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने लगते हैं, तो सदस्यों को प्राप्त इस सशक्त माध्यम का वास्तविक प्रभाव स्वत: प्रकट होने लगता है।

II. बजट सत्र, 2008

2.1 बजट सत्र वर्ष का पहला व सबसे लम्बी अवधि वाला सत्र होता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस सत्र हेतु संसद की दोनों सभाओं को 25 फरवरी, 2008 को समवेत होने के लिए दिनांक 11 फरवरी, 2008 को आमंत्रण-पत्र जारी किए गए थे। सामान्य परिपाटी के अनुरूप यह सत्र दो भागों में सम्पन्न हुआ। पहला भाग 25 फरवरी, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक चला और दूसरा भाग 15 अप्रैल, 2008 से आरंभ होकर 9 मई, 2008 को समाप्त हुआ। इस सत्र के लिए सभा की 35 बैठकें निर्धारित की गई थीं तथा 33 बैठकों में 'प्रश्नों का समय' नामक कार्य-मद को सम्मिलित किया जाना था। तथापि, सभा निर्धारित समय से पहले ही 6 मई, 2008 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप सत्र की तीन बैठकें सम्पन्न नहीं हो पाईं। 30 बैठकों में से केवल 24 दिवसों को ही कार्यावलि में दर्ज 'प्रश्नों का समय' नामक कार्य-मद पर विचार हो सका। सदस्यों द्वारा अन्य मुद्दे उठाए जाने के कारण 6 बैठकों में प्रश्न नहीं पूछे जा सके।

2.2 दिवस का पहला घण्टा होने के कारण 'प्रश्नों का समय' में प्राय: व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को उठाना चाहते हैं, जिन पर उनकी राय में, 'प्रश्नों का समय' को निलंबित करते हुए सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप सूचीबद्ध कार्य-मदों पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संसदीय प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय और धन, जो कि व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, को ध्यान में रखते हुए 'प्रश्नों का समय' के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने की घटनाओं को हमेशा बहुत गंभीरता से लिया जाता रहा है। बजट सत्र-2008 के दौरान भी ऐसे दृष्टांत सभापीठ के ध्यान में आए थे। सभी दलों के नेताओं के साथ परामर्श करके, माननीय सभापति द्वारा किए गए सतत् प्रयासों के फलस्वरूप, सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विषयों को उठाए जाने के लिए अब

एक तंत्र विकसित कर लिया गया है। 'प्रश्नों का समय' पर इसका क्रमिक प्रभाव परिलक्षित होने लगा है और ऐसे व्यवधानों के दृष्टांतों में उल्लेखनीय कमी हुई है।

2.3 कभी-कभी, प्रश्नों के लिए नियत एक घंटे का समय, शपथ/प्रतिज्ञान अथवा दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि, जिन्हें 'प्रश्नों का समय' के अन्तर्गत ही दिन की पहली कार्य-मद के रूप में लिया जाता है, के कारण घटकर कम रह जाता है। बजट सत्र में नए सदस्यों द्वारा क्रमश: 15, 16, और 17 अप्रैल, 2008 को ली गई शपथ/किये गये प्रतिज्ञान के कारण 'प्रश्नों का समय' के लिए नियत समय में क्रमश: सैंतालीस मिनट, चार मिनट और एक मिनट की कमी हो गई।

2.4 विवशताओं के बावजूद, 'प्रश्नों का समय' अधिकांश दिनों में सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ और इसके माध्यम से सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी/सूचनाएं दी गईं। 'प्रश्नों का समय' के दौरान, अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से भी सदस्यों ने बहुत ही प्रासंगिक विषय उठाए जिससे कभी-कभी सरकार अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए भी बाध्य हुई। 'प्रश्नों का समय' के दौरान हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप अनुवर्ती कार्रवाई में तेजी आई/विभिन्न विषयों पर सरकार व्यापक सलाह-मशविरे के लिए तैयार हुई। इस संदर्भ में, निम्नलिखित उदाहरण विचारणीय हैं:—

(क) सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना, तारांकित प्रश्न संख्या 300 दिनांक 19.3.2008;

(ख) सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, तारांकित प्रश्न संख्या 109 दिनांक 05.03.2008 और तारांकित प्रश्न संख्या 181 दिनांक 12.03.2008;

(ग) राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी, तारांकित प्रश्न संख्या 202 दिनांक 13.03.2008; और

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि, तारांकित प्रश्न संख्या 185 दिनांक 12.03.2008।

III. प्रश्नों की सूचनाएं

संसदीय प्रक्रिया के रूप में प्रश्नों के संबंध में सदस्यों की ओर से सर्वाधिक सक्रियता देखने को मिलती है। राज्य सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अंतर्गत कोई भी सदस्य अपने नाम से एक दिन में 5 प्रश्न पूछ सकता है। बजट सत्र के दौरान विभिन्न तिथियों के लिए 135 सदस्यों से कुल मिलाकर 10,162 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं।

IV. तारांकित प्रश्न

4.1 प्रश्नों की युक्ति का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि सदस्य सरकार से प्रामाणिक सूचना प्राप्त कर सकें जिससे कि वे जन प्रतिनिधि के रूप में अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम हो सकें। यह देखा गया है कि सदस्य इस बात के ज्यादा इच्छुक होते हैं कि उनकी सूचनाएं तारांकित प्रश्नों के रूप में गृहीत की जाएं जिससे उन्हें सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका मिल सके। वर्ष 2008 का बजट सत्र भी इसका कोई अपवाद नहीं रहा। सदस्यों से प्राप्त 10,162 सूचनाओं में से 8,915 सूचनाएं तारांकित प्रश्नों के लिए थीं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि 'प्रश्नों का समय' के लिए नियत समय में तारांकित प्रश्नों की सूची में सम्मिलित प्रश्नों में से केवल पहले कुछ प्रश्नों का ही सभा में मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों की सूची के शेष प्रश्नों के उत्तर अतारांकित प्रश्नों की तरह सभा पटल पर रख दिए जाते हैं।

4.2 'प्रश्नों का समय' वाली अवधि में अपने प्रश्नों के मौखिक उत्तर पाने की सदस्यों की गहरी रूचि को देखते हुए पिछले कुछ समय से यह मामला पीठासीन अधिकारियों के मस्तिष्क को झकझोरता रहा है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे कि 'प्रश्नों का समय' के दौरान अधिक से अधिक तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। एक समय था जब 'प्रश्नों का समय' के दौरान मौखिक उत्तर के लिए पूछे गए प्रश्नों की औसत संख्या 2 से 3 के बीच होती थी। राज्य सभा के 201वें सत्र में यह संख्या बढ़कर 6 तक पहुंच गई। 213वें सत्र में इनकी औसत संख्या मात्र 2.9 तक पहुंचती है। इस समय यह प्रयास किया जा रहा है कि अनुपूरक प्रश्नों और साथ ही उनके उत्तरों को संक्षिप्त और सुस्पष्ट रखने के लिए बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रति प्रश्न कम से कम समय लगे और 'प्रश्नों का समय' के दौरान अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकें। 3 मार्च, 2008 को माननीय सभापति जी ने यह टिप्पणी की:—

> ''....**'प्रश्नों का समय' अनुपूरक प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए होता है। सदस्यों का यह दायित्व है कि वे सुस्पष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछें और माननीय मंत्रियों का भी दायित्व होता है कि वे उनका सुस्पष्ट उत्तर दें। 'प्रश्नों का समय' वक्तव्य देने अथवा भाषण देने के लिए नहीं होता है....**''

4.3 इस मामले पर 4 मार्च, 2008 को सामान्य प्रयोजन समिति में तथा 11 मार्च, 2008 को नेताओं की बैठक में भी विचार-विमर्श हुआ और दोनों ही अवसरों पर यह निर्णय लिया गया कि जिस सदस्य के नाम से तारांकित प्रश्न गृहीत किया गया है उसे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होगी और यदि उस प्रश्न को पूछने वाले सदस्य के साथ किसी अन्य सदस्य का नाम भी सम्बद्ध किया गया है तो उसे भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। इसके पश्चात्, उस प्रश्न पर केवल दो और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

4.4 जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, तारांकित प्रश्नों की सूची में केवल 20 प्रश्न ही शामिल होते हैं। इसलिए, तारांकित प्रश्नों की सूची में स्थान पाना सदस्यों के लिए सदा ही एक संयोग की बात होती है। प्रश्नों की पर्याप्त संख्या में सूचनाएं देने के बावजूद सदस्य द्वारा दिये गये प्रश्नों का तारांकित सूची में सम्मिलित हो पाना कोई आसान बात नहीं है। इस प्रयोजनार्थ पूर्व-अधिसूचित समय-सारणी के अनुसार लाटरी निकाली जाती है। बजट सत्र, 2008 के दौरान राज्य सभा के कुल 242 सदस्यों में से, 89 सदस्यों द्वारा प्रश्नों की कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे सदस्यों में मंत्रिगण और कुछ नए सदस्य भी शामिल हैं जो मार्च/अप्रैल, 2008 में सम्पन्न हुए द्वि-वार्षिक चुनावों के पश्चात राज्य सभा के सदस्य बने। विभिन्न तारीखों की तारांकित सूची में 135 सदस्यों की सूचनाओं को शामिल किया गया। तथापि, 11 सदस्य ऐसे थे जिन्हें तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं देने के बावजूद पूरे सत्र के दौरान निकाली गई लॉटरी में स्थान नहीं मिल सका। इनमें से एक सदस्य ने 35 सूचनाएं दीं और दूसरे सदस्य ने 15 सूचनाएं दीं। इस प्रकार, यह केवल संयोग ही है कि प्रारंभिक तैयारी करने के बावजूद ये दो सदस्य इस संसदीय साधन का पूरा लाभ नहीं उठा सके।

4.5 इसके साथ ही, यह भी संभव है कि लॉटरी में सफल होने के बावजूद सदस्य को तारांकित प्रश्न सूची में स्थान नहीं मिल पाए। उदाहरणार्थ, यदि सदस्य की सूचना या तो उसमें मांगी गई सूचना की प्रकृति के कारण या उस प्रश्न की विषय-वस्तु से संबंधित प्रशासी मंत्रालय के संबंध में अस्पष्टता के चलते स्पष्टत: स्वीकार्य न हो। प्रश्न के स्वीकृत न होने की स्थिति में

सदस्य के पास अपना अवसर खो देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। बजट सत्र, 2008 के दौरान ऐसे कई अवसर आए जबकि लॉटरी में सफल रहने के बावजूद मान्य कारणों से तारांकित सूची में सदस्य के प्रश्न को स्थान नहीं मिल पाया। इस सत्र के दौरान विभिन्न तारीखों के 26 अस्वीकृत प्रश्न थे। इस संबंध में एक सदस्य बहुत दुर्भाग्यशाली रहे जिनके सबसे अधिक संख्या में तीन तारीखों के तीन अस्वीकृत प्रश्न थे। दूसरे सदस्य को उस तारीख की कोई स्वीकृत सूचना न होने के कारण तारांकित सूची में स्थान नहीं मिल पाया।

V. 'प्रश्नों का समय' के दौरान सहभागिता

5.1 तारांकित सूची में स्थान पाना और वह भी आरंभ में, पूरी तरह से 'संयोग' की बात है। तद्नुसार, कुछ सदस्य यथासंभव उत्तर देने की अनेक तिथियों के लिए प्रश्नों की सूचनाएं देने के बारे में सोचते हैं ताकि लॉटरी में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके जिससे लॉटरी में उनकी सफल रहने की संभावना अधिक हो जाती है। सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली दूसरी सफल रणनीति है— प्रश्नों की संयुक्त रूप से सूचना देना। लॉटरी में स्थान प्राप्त नहीं करने के बावजूद, ऐसे सदस्य को सामान्यत: संयुक्त सूचना में द्वितीय सदस्य होने के कारण 'प्रश्नों का समय' के दौरान चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल जाता है। बजट सत्र (2008) के संबंधित आंकड़े इस संबंध में रोचक घटनाक्रम प्रस्तुत करते हैं। एक सदस्य को विभिन्न तरीखों की तारांकित सूचियों में अधिकतम 24 बार स्थान प्राप्त हुआ जिनमें से 12 स्थान दूसरे सदस्य के सम्मिलित सूचना देने के कारण प्राप्त हुए थे। इसी तरह, दूसरे सदस्य 22 स्थान प्राप्त कर सके जिनमें से 16 स्थान संयुक्त रूप से सूचनाएं देने के कारण प्राप्त हुए थे। इनके बाद एक और अन्य सदस्य को 21 स्थान प्राप्त हुए जिनमें से 14 स्थान संयुक्त रूप से दी गई सूचनाओं के कारण प्राप्त हुए थे। एक सदस्य ने 21 स्थान प्राप्त किए जिनमें से 13 संयुक्त रूप से दी गई सूचना के कारण प्राप्त हुए और दूसरे सदस्य ने 21 स्थान प्राप्त किये जिनमें से 9 स्थान संयुक्त रूप से दी गई सूचना के कारण प्राप्त हुए थे।

5.2 इन आंकड़ों का आगे विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त सूचनाएं देने वाले सदस्य मतदान में प्राप्त हुए स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करने में भी सफल रहे। बजट सत्र के दौरान दो सदस्यों को 6 बार अपने प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु अधिकतम सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार, अवसर अनुरूप एवं संयोग से अतिरिक्त आधारभूत प्रयासों के द्वारा उत्सुक सदस्य 'प्रश्नों का समय' के दौरान अधिकतम अवसर प्राप्त करने में सफल रहे।

5.3 इसके विपरीत, ऐसे अनेक उदाहरण भी देखने को मिले जब पर्याप्त सूचनाएं देने और विभिन्न तिथियों की तारांकित सूची में स्थान पाने के बावजूद, सदस्य अपने नियंत्रण से परे कारणों की वजह से कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सके। ऐसे मामलों का उल्लेख यहां नीचे किया गया है:—

(i) एक सदस्य ने प्रश्नों की ग्यारह एकल सूचनाएं दी। फिर भी, 8 तिथियों को सूचीबद्ध प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर नहीं दिया जा सका। दूसरी दो तिथियों को बैठकें निरस्त कर दी गईं और अन्तिम एक तिथि को सभा को स्थगित कर दिया गया।

(ii) दूसरे सदस्य ने प्रश्नों की दस एकल सूचनाएं दी। 6 तिथियों को सूचीबद्ध प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके। एक तिथि को सदस्य उपस्थित थीं और दूसरी तिथि को अनुपस्थित थीं। एक तिथि को सदस्य का अस्वीकृत प्रश्न था और बाकी रह गई अन्तिम सूचना जिस तिथि को सूचीबद्ध थी उस तिथि को सभा स्थगित हो गई।

(iii) इसके अतिरिक्त एक सदस्य ने प्रश्नों की 10 एकल सूचनाएं दी। 6 अवसरों पर सूचीबद्ध प्रश्नों का मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सका। दो अन्य अवसरों पर सदस्य अनुपस्थित थे और दो अन्य तिथियों को सभा स्थगित हो गई।

(iv) दूसरे सदस्य ने प्रश्नों की 9 एकल सूचनाएं दी। 5 तिथियों को सूचीबद्ध प्रश्नों का मौखिक उत्तर नहीं दिया जा सका। तीन अलग-अलग अवसरों पर, सभा स्थगित हो गई और एक तिथि को सदस्य अनुपस्थित थे।

VI. लॉटरी में स्थान पाने वाले सदस्यों की उपस्थिति

6.1 तारांकित सूची में विशेषत: पहले कुछ स्थानों में शामिल होने की सदैव इच्छा रहती है, अनेक ऐसे उदाहरण हैं; सदस्य जिनके नाम पर प्रश्न होते हैं, उस समय अनुपस्थित रहते हैं, जब 'प्रश्नों के समय' के दौरान सभापीठ द्वारा प्रश्न पूछने के लिए उनके नाम पुकारे जाते हैं, जब सभापीठ द्वारा सदस्य का नाम पुकारे जाने पर यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है और सभापति महोदय अगले प्रश्न के प्रश्नकर्ता को अपना प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर 'प्रश्नों का समय' समाप्त हो जाने पर अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के साथ ही सभा पटल पर रख दिये जाते हैं। यदि 20 तारांकित प्रश्नों की संपूर्ण सूची पर विचार कर लिया गया है और 'प्रश्नों का समय' की कुछ अवधि फिर भी शेष बची रहती है, तो सभापति महोदय, यदि ऐसा चाहें, तो पहले अनुपस्थित रहे सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने के लिए फिर से कह सकते हैं।

6.2 बजट सत्र, 2008 के दौरान ऐसे अनेक अवसर आये जब सदस्य जिनके नाम से प्रश्न सूचीबद्ध थे, 'प्रश्नों का समय' के दौरान सभा में उपस्थिति नहीं थे। ऐसे 90 अवसर आए जब अलग-अलग तिथियों के लिए लॉटरी में स्थान पाने वाले सदस्य 'प्रश्नों का समय' के दौरान सभा में उपस्थित थे, जबकि 45 अवसरों पर सदस्य उनके प्रश्नों के पुकारे जाने के समय अनुपस्थित थे। अन्य 26 अवसरों पर संयुक्त नाम वाले सदस्य उपस्थित थे। जबकि 17 अवसरों पर ऐसे सदस्य अनुपस्थित थे।

6.3 बजट सत्र, 2008 के दौरान ऐसे उदाहरण भी सामने आये जब कतिपय सदस्यों ने प्रश्नों की बहुत कम सूचनाएं दी थीं लेकिन वे लॉटरी में एक या दो बार स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। तथापि, वे इस अवसर का उपयोग नहीं कर सके।

VII. महिला सदस्य

7.1 'प्रश्नों का समय' के दौरान सभा की महिला सदस्यों की भी अच्छी एवं प्रभावी भागीदारी रही है। 242 सदस्यों वाली सभा में कुल 22 महिला सदस्यों में से 17 सदस्यों से बजट सत्र, 2008 के दौरान 1598 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कि कुल प्राप्त सूचनाओं का 15.72 प्रतिशत होता है। इसके परिणामस्वरूप, महिला सदस्यों के बहुत कम प्रश्नों को तारांकित सूची में स्थान प्राप्त हो रहा है। कुल 580 तारांकित प्रश्नों में 126 तारांकित प्रश्न (22 प्रतिशत) महिला सदस्यों के थे।

7.2 'प्रश्नों का समय' के दौरान महिला सदस्य प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न पूछने में भी काफी सक्रिय रही हैं।

VIII. अन्य सदस्यों का योगदान

8.1 प्रश्नों के रूप में इस संसदीय साधन का प्रभावी उपयोग केवल सूचना देने वाले, लॉटरी में तथा अंतिम रूप से तारांकित सूची में स्थान पाने वाले सदस्यों तक ही सीमित नहीं है। यह देखा गया है कि 'प्रश्नों का समय' के दौरान कुछ सदस्य लॉटरी में कोई स्थान प्राप्त नहीं करने के बावजूद तथा कतिपय मामलों में प्रश्न की सूचना नहीं देने के बावजूद भी काफी सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। वे हर सुबह सभा में उपस्थित रहते हैं। जब सूचीबद्ध सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे सदस्य भी सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अनुमति मांगकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यह एक ऐसी सुस्थापित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऐसे सदस्यों को भी पर्याप्त अवसर मिल जाता है।

8.2 अनुपूरक प्रश्न की अनुमति देते समय सभापीठ यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखती है कि विभिन्न राजनैतिक दलों, निर्दलीय सदस्यों, सभा के वरिष्ठ सदस्यों, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा पीछे की पंक्तियों में बैठने वाले सदस्यों को भी 'प्रश्नों का समय' के दौरान भागीदारी का समान अवसर मिल सके।

IX. प्रश्नों के द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी का उपयोग

प्रश्न अत्यंत लाभप्रद सूचना, जो काफी प्रमाणिक होती है, के प्रचार में सहायक होते हैं। सभा में सरकार द्वारा प्रश्नों के दिए गए उत्तर 'प्रश्नों का समय' की समाप्ति पर सार्वजनिक हो जाते हैं। राज्य सभा सचिवालय अपने सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालता है जिससे सूचना सर्वसुलभ हो जाती है। प्रश्नों से समय-समय पर अद्यतन जानकारी भी प्राप्त होती रहती है, क्योंकि राज्य सभा के प्रत्येक सत्र में प्रश्न-सत्र होते हैं, जिनमें सरकार प्रश्नों के उत्तर देते समय अद्यतन जानकारी देती है। ऐसी सूचना को विभाग संबंधित समितियों सहित विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा अत्यंत लाभप्रद होना पाया गया है। विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी प्रश्नों के उत्तर में सरकार द्वारा दी गई जानकारी का सदुपयोग किया जाता है।

GMGIPMRND—2994RS—8-10-2008.